2021/44

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री महेन्द्रसिंह गोयल पुत्र श्री सुन्दरसिंह
जाति गोयल निवासी नयावास नं. 2
वार्ड नं. 31 जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
कोषाधिकारी सिरोही

मुकदमा नं. 23 वर्ष 2021

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा
19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.03.2021	अपीलांट ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने पर प्रस्तुत की। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर होकर दोनों पक्षों को सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 19.03.2021 को पेश हो । जिला कलक्टर, सिरोही	
19.03.2021	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट कोषाधिकारी सिरोही उपस्थित। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही से पेंशन से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। रेस्पोडेन्ट कोषाधिकारी सिरोही द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलांट श्री महेन्द्र गोयल निवासी नयावास सिरोही लोगों के घर–घर जाकर प्रार्थना–पत्र लिखवाकर उनके हस्ताक्षर करा बिना उद्देश्य के बार–बार थर्ड पार्टी से आर.टी.आई. लगवाता है जिसकी पहचान उनकी हैन्डराईटिंग से होती है एवं थर्ड पार्टी स्वयं ने आकर यह स्वीकार कर लिखित में दिया है कि अपीलांट श्री महेन्द्र गोयल ने मुझे गुमराह कर अंगूठा लगवाया गया है। मेरे द्वारा कोई अपील स्वयं आर.टी.आई कहीं पर भी नहीं लगाई गई है। अपीलांट स्वयं भी सभी कार्यालय कार्यालय में आर.टी.आई. लगाता है। आर.टी.आई. का निर्धारित समय में प्रत्युत्तर रजिस्टर्ड डाक से देने के उपरान्त भी श्री महेन्द्र गोयल द्वारा प्रथम अपील दायर की जाती है कि मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रथम अपील के समय दोबारा सूचना दिए जाने के उपरान्त भी राज्य सूचना आयोग में अपील की जाती है। अतः श्री गोयल द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाए जाने की गलत जानकारी देकर आयोग व प्रथम अपील	

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned By Scanner Go

अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भ्रमित किया जाता है। श्री गोयल अपील हेतु खुद कभी भी उपस्थित नहीं होता है सिर्फ अधिकारी ही उपस्थित होते है, जिससे राजकीय धन का अपव्यय होता है। अतः श्री महेन्द्र गोयल की वेबुनियादी अपील को खारिज कर जुर्माना लगाकर पावन्द करवाने का श्रम करावें।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही से पेंशन से सम्बन्धित सूचना चाही गई थी। अपीलांट को अपना पक्ष करने का समुचित अवसर दिया जा चुका है, परन्तु अपीलांट इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि रेस्पोडेन्ट कोषाधिकारी सिरोही द्वारा अपीलांट को समुचित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा दी गई थी, फिर भी अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को परेशान हैरान करने की नियत से अपील इस न्यायालय में पेश की है। रेस्पोडेन्ट कोषाधिकारी सिरोही द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलांट श्री महेन्द्र गोयल आदतन शिकायती है एवं बार–बार किसी थर्ड पार्टी से हस्ताक्षर करवाकर बिना उद्देश्य के आर. टी.आई. पेश करता है, जबकि थर्ड पार्टी स्वयं अपील या आर.टी.आई. लगाने सम्बन्धित कथन को अस्वीकार करती है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से सही प्रतीत होता है। इससे यह पता चलता है कि अपीलांट श्री महेन्द्र गोयल हैरान परेशान करने की नियत से रेस्पोडेन्ट को परेशान करता है, जिससे उनका व उनके अधिनस्थ कर्मचारियों का समय बर्बाद होता है। इस कारण उनके अन्य राजकीय कार्य भी बाधित होते है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलांट श्री महेन्द्र गोयल को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में आप द्वारा किसी थर्ड पार्टी से हस्ताक्षर करवाकर एवं अनुचित आर. टी.आई. एवं अपील दायर नहीं की जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:15:01 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned By Scanner Go